# कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 1133 /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2008–09 दिनांक: 7/6/2008

## कार्यालय ज्ञाप

संयुक्त सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 626/उन्तीरा(2)08–2(117पे0)/2007 पेयजल अनुभाग–2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 द्वारा जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं (सामान्य) के पुनर्गठन/जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2008–09 की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय 271.20 लाख रू0 के सापेक्ष 250.94 लाख रू0 की स्वीकृति/निर्गतन पर रखी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान पिथौरागढ़ ने अपने पत्र संख्या 1399/जीर्णोद्धार/40 दिनांक 12.05.2008 द्वारा उक्त आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चाहने हेतु इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथा अनुमोदित कार्य योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त शासनादेश में दिये निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2008–09 की जिला योजना में पेयजल योजनाओं (सामान्य) के पुनर्गठन/जीर्णोद्धार हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/स0यो0अ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कुल 250.94 लाख रू0 (दो करोड़ पचास लाख चौरानब्बे हजार रू0) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. उक्त शासनादेश संख्या 626/उन्तीरा(2)08–2(117पे0)/2007 पेयजल अनुभाग–2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित कार्यों के लिये किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाय। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत् किया जाय। जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
4. जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. जिन योजनाओं में निर्माण कार्य कराये जाने हो उनके आगणनों की तकनीकी जाँच जिला स्तर पर गठित तकनीकी समरीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) के परीक्षीणोपरान्त योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाय।
6. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्य निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी की होगी।
7. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रगति हेतु सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
8. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाय जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो, साथ ही कार्य प्रारम्भ करने की पूर्व की स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य का फोटोग्राफ पत्रावली में सुरक्षित रखा जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2009 तक कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय।
10. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड 5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुवल) तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
11. व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। आहरण/व्यय एक मुश्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाय।
12. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
13. उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में निहित शर्तों के अधीन किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।
15. मासिक व्यय विवरण/वी0एम0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः–

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या 13 के लेखा शीर्षक 2215- जलापूर्ति तथा सफाई - 01 -जलापूर्ति - आयोजनागत - 102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - 91 - जिला योजना - 02 - ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार - 20 - सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 /शासनादेश संख्या 826/उन्तीस(2)08-2(117पे0)/2007 पेयजल अनुभाग-2 दिनांक 21 अप्रैल, 2008 तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 985/जिला योजना/टी0ए0सी0गठन/2008-09 दिनांक अप्रैल 30, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

(डी.सेथिल पांडियन)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 1133 /जि0यो0/प्रा0वि0स्की0/2008-09 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता उत्तरांचल जल संस्थान, पिथौरागढ।
2. अधीक्षण अभियन्ता उत्तरांचल जल संस्थान, पिथौरागढ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
4. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ।
5. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमॉयू मंडल हल्द्वानी।
6. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमॉयू मंडल नैनीताल।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तरांचल शासन देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून।
8. सचिव, पेयजल निगम,उत्तरांचल देहरादून।
9. सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन देहरादून।
10. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन देहरादून।

06/06/08
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।